संख्या 762/अड़तीस–7–2014–368एनआरईजीए/2008

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक
उत्तर प्रदेश।
2–मुख्य विकास अधिकारी/समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2014

विषयः **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद के धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया शासनादेश संख्या 2150/अड़तीस–7–2014–368 एनआरईजीए /2008 दिनांक 16 जुलाई, 2013 एवं शासनादेश संख्या 455/अड़तीस–7–2014– 368एनआरईजीए/2008दिनांक 25.02.2014 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

मनरेगा योजना के लिये भारत सरकार द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशों में ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर एवं जनपद स्तर पर व्यय किये जा सकने वाले प्रशासनिक व्यय की धनराशि के सम्बन्ध में कोई भी फॉट प्राविधानित नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में मनरेगा कार्मिकों यथा– ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी इत्यादि के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में समस्या बनी हुई है। ईएफएमएस की व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात् ग्राम स्तर से इन कार्मिकों के वेतन का भुगतान सम्भव नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1/2 प्रतिशत धनराशि सोशल ऑडिट एवं 1/2 प्रतिशत धनराशि मुख्यालय को दिये जाने के उपरान्त अवशेष समस्त 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय का उपयोग क्षेत्र पंचायत स्तर से मनरेगा कार्मिकों को वेतन/ मानदेय का भुगतान करने

के लिये किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालय स्तर पर 1/2 प्रतिशत धनराशि में से अवशेष धनराशि को भी नरेगा कार्मिकों के वेतन/मानदेय के भुगतान के लिये जनपद/ विकास खण्ड स्तर पर हस्तान्तरित करके उपभोग किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें एवं प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि प्रशासनिक व्यय की कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

धनराशि लैप्स होने की दशा में मुख्य विकास अधिकारी एवं उपायुक्त, नरेगा व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

समस्त प्रशासनिक व्यय में उपलब्ध धनराशि का उपर्युक्तानुसार उपभोग करने के पश्चात् समस्त मुख्य विकास अधिकारी रोजगार गारण्टी आयुक्त को 28.03.2014 की रात्रि को सूचित करेंगे एवं रोजगार गारण्टी आयुक्त सूचना को संकलित करके आयुक्त, ग्राम्य विकास के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे।

भवदीय,

25/3/14

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या 762 (1)/ अड़तीस–7–2014–368एनआरईजीए/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0
3. रोजगार गारण्टी आयुक्त,उ0प्र0
4. निदेशक, सोशल ऑडिट उत्तर प्रदेश
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
6. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

25/3/14

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव